

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
JODHPUR

S.B. Civil Second Appeal No. 330/2017

Devilal

----Appellant

Versus

Smt. Parwati And Ors.

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Jayant Jain Ms. Urvashi Kalla
For Respondent(s)	:	None

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

17/07/2025

बहस एडमिशन सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से इस मामले में मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अपीलार्थी की ओर से प्रथम अपीलीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, सलुम्बर जिला उदयपुर के समक्ष दिनांक 16.02.2015 को आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. का आवेदन पेश किया गया था। जिसका निस्तारण अपील के निर्णय के साथ नहीं किया गया। केवल मात्र इसी आधार पर द्वितीय अपील विचारार्थ ग्रहण किए जाने और अपीलार्थी की ओर से प्रस्तावित सारभूत विधिक प्रश्न (Substantial question of law) द्वितीय बनाए जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी के तर्कों पर मनन किया। प्रथम अपीलीय न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। इस प्रकरण में दिनांक 16.02.2015 की आदेशिका के मुताबिक अपीलार्थी की ओर से आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. का आवेदन पेश किया गया था। जिसकी नकल अधिवक्ता प्रत्यर्थी को दिलवाई गई थी। प्रकरण इस प्रार्थना-पत्र के जवाब के लिए दिनांक 18.03.2015, 01.04.2015 व 23.04.2015 को नियत किया गया था। तत्पश्चात दिनांक 25.05.2015 को पुनः बहस हेतु फर्द अहकाम अंकित कर दी गई। जबकि प्रार्थना-पत्र के बारे में और उसके जवाब के बारे में कोई उल्लेख इस आदेशिका में नहीं किया गया। तत्पश्चात लगातार पत्रावली बहस अंतिम हेतु नियत रही। इस दौरान प्रत्यर्थी की मृत्यु हो जाने से आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत कार्यवाही की गई। तत्पश्चात बहस अंतिम सुनी जाकर अपील का निस्तारण दिनांक 07.10.2017 को कर दिया गया। परंतु अपील के निर्णय में भी आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के बाबत आदेश पारित नहीं किया गया। ऐसी अवस्था में प्रस्तावित सारभूत

विधिक प्रश्न (Substantial question of law) संख्या द्वितीय जो निम्नानुसार बनाया जाता है:—

Whether the appellant court has substantially erred in not deciding the application so filed by the appellant-plaintiff under order 41 rule 27 C.P.C., as clear from the order sheet dated 16/02/2015 of the appellant court that application was moved but the same was not decided?

इस मामले में सारभूत विधिक प्रश्न (Substantial question of law) बनाए जाने से अपील विचारार्थ ग्रहण की जाती है।

प्रत्यर्थीगण पर समन की तामील हेतु विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी दो प्रतियों में पीएफ व समन दो सप्ताह की अवधि में पेश करें।

उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करने पर प्रत्यर्थीगण को चार सप्ताह में वापसी योग्य नोटिस दो प्रतियों में जारी कर एक प्रति साधारण प्रक्रिया से तथा दूसरी प्रति रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजे जाने हेतु अपीलार्थी अथवा उसके अधिवक्ता को दस्ती उपलब्ध करवाई जाए।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J